न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

प्रार्थना पत्रं संख्या : 38/23

1:– माधूलाल पिता हीराजी जाति गुर्जर निवासी लिरडी तहसील बेगूँ जिला चित्तौडगढ़

...........प्रार्थी

– बनाम –

1:– प्रकाश पिता जमनालालजी जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी लिरडी तहसील बेगूँ जिला चित्तौडगढ़

2:– बाबूलाल पिता जमनालाल जाति गुर्जर निवासी उम्र वयस्क निवासी लिरडी तहसील बेगूँ जिला चित्तौडगढ़

3:– बालीबाई पत्नी निवासी पिता जमनालाल जाति गुर्जर निवासी उम्र वयस्क निवासी लिरडी तहसील बेगूँ जिला चित्तौडगढ़

4:– मीनाबाई उर्फ गीताबाई पुत्री पिता जमनालाल जाति गुर्जर निवासी उम्र वयस्क निवासी लिरडी तहसील बेगूँ जिला चित्तौडगढ़

5:– सुगनाबाई पुत्री जमनालाल जाति गुर्जर निवासी उम्र वयस्क निवासी लिरडी तहसील बेगूँ जिला चित्तौडगढ़

.............विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188,209 के साथ प्रार्थना पत्र आ. धारा 212 आर.टी.एक्ट. वकील श्री राज सिंह ,द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम लिरडी पटवार मण्डल दुगार तहसील बेगूं में प्रार्थी के स्वामित्व आधिपत्य एवं उपयोग उपभोग की पश्तैनी पैत्रिक खातेदारी की कृषि आराजीयात स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः–

खाता सं.	आ.नंबर	रकबा हैक्टर में
42	103	1.1300 हैक्टर
	94	0.0500 हैक्टर
	95	0.2200 हैक्टर
	96	0.6300 हैक्टर
	97	0.6300 हैक्टर
	05	2.6600 हैक्टर

यह कि सेटलमेण्ट से पूर्व उक्त आराजी मुझ प्रार्थी के दादा परदादा द्वारा विजयसिंह जी नारेला से क्रय की गई थी लेकिन वादी के दादा परदादा अनपढ एवं ग्रामीण परिवेश के होने से उक्त आराजी जिसको विजयसिंह नारेला से क्रय की को अपने नाम राजस्व अभिनलेख मे समय पर दर्ज नहीं करा सके तथा सेटलमेण्ट के समय प्रतिवादीगण/विपक्षीगण सं. 1 से 5 के पिता द्वारा सरकारी राजस्व कर्मचारियो से मिलीभगत कर वर्णित आराजीयात को अपने नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करवा ली जबकि उक्त वर्णित आराजी को क्रय के समय वादी के दादा,परदादा एव उनके स्वर्ग वास पश्चात वादी/प्रार्थी ही उपयोग उपभोग कर[...] विपक्षीगण का कभी वर्णित आराजीयात पर न तो कब्जा काश्त रहा है और न ही वर्तमान [...] राजस्व अभिनलेख में नाम पर दर्ज है। मुझ प्रार्थी द्वारा उक्त [...] आराजीयात [...] सिंचित करने हेतु [...]खुदवाया एवं आरजी को सिंचित करता आ रहा है। उक्त वर्णित आराजीयात में मुझ प्रार्थी क[...] हक हिस्सा निहित होकर इसी भूमि का उपयोग उपभोग मेरे दादा परदादा एवं उनके पश्चात मे प्रार्थी निरंतर निबधि रूप से करता आ रहा है। इसी 1/3 हक हिस्सा भूमि पर में प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा हूँ। विपक्षीगण के पिता द्वारा गलत रूप से अपने नाम दर्ज करवा ली जो विधि विरुद्ध होकर गलत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 16:26:51 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थी के 1/3 हक हिस्सा भूमि में विपक्षीगण या इनके बाप दादाओ का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है एवं न ही कभी उपयोग उपभोग ही रहा है। प्रार्थी की उक्त 1/3 हिस्सा आराजी में विपक्षीगण या इनके परिवार का कोई सरोकार नहीं रहा है इस प्रकार [...]

यह कि विपक्षीगण कि पिता द्वारा प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित आराजीयात में निहित 1/3 हि
आराजी को आने नाम से अवैधानिक तरीके से मिनीभगत कर चोरी छीपे अपने नाम दर्ज करवा
की प्रार्थी या उसके परिवार वो को कोइ जानकारी नही थी उक्त आराजी हिस्सा प्रार्थी क ब
दादाजीओ द्वारा क्रय किया गया तभी से प्रार्थी कि बाप दादाओ द्वारा एवं उसके पश्चात प्रार्थी द्व
वर्णित आराजी हिस्सा का उपयोग उपभोग किया जा रहा है। एवं वर्तमान मे भी प्रार्थी कबिज होक
काश्त करता आ रहा है। इस प्राकर सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में पूर्णतया सिद्व है।
यह कि विपक्षीगण आये दिन उक्त वर्णित आराजी राजस्व रेकार्ड मे उनके नाम दर्ज होने से छीन
एवं प्रार्थी को बेदखल करने की धमकीया देते रहते है तथा कहते है कि जमीन हमारे नाम खातेदा
से दर्ज रेकर्ड है तुझे हम अब यहा काश्त नहीं करने देगे एवं हम कब्जा करेगे। यदि उक्त वर्णि
प्रार्थी के बाप दादाओ द्वारा क्रय भूमि पर विपक्षीगण कब्जा कर प्रार्थी को बेदखल कर देगे तो प्रार्थ
को अपूरणीय क्षति होगी तथा व्यर्थ की मुकदमेबाजी बढ जायेगी तथा प्रार्थी अपने बाप दादाओ की
क्रयशुदा भूमि से महरूम हो जायेगा एवं परिवार भूखे मर जायेगा। प्रार्थी के पास उक्त आराजी के
बलावा अन्य कोई आरजी काश्त करने हेतू एवं जीविकोपार्जन हेतू नहीं है। विपक्षीगण को जरिये
अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक है कि वे मुझ प्रार्थी के शांतिपूर्वक उपयोग
उपभोग एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वये और न ही अपने
नौकर,एजेण्ट,रिश्तेदार आदि से उत्पनन करे/करावे।

अतः न्यायालय श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की ग्राम लिरडी मण्डल पटवार दुगार तहसील बेगूं की उक्त वर्णित आराजीयात के शातिपूर्वक उपयोग उपभोग एवं कब्जे काश्त किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे और न ही अपने किसी नौकर,एजेण्ट, रिश्तेदार आदि से करावे इस हेतू विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

प्रा.पत्र अ.धा. 212 राज0काश्त0अधि0 का दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन से तलब किया गया किन्तु विपक्षीगण सूचना के बावजूद उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही होने से वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई एवं प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अवलोकन किया गया प्रकरण में प्रस्तुत मौजा लिरड़ी प0ह0 दुगार की नकल जामबन्दी 2078–2078 के खाता संख्या 42 आराजी संख्या 103, 94, 95, 96, 97 कुल किता 5 कुल रकबा 2.6600 है0 भूमि मे प्रार्थी का नाम दर्ज अंकित नहीं है इसलिए प्रार्थी ने अपना हक घोषित कराने हेतु इस प्रार्थना पत्र के साथ वाद अ.धा. 88,188,209 राज0काश्त0अधि0 का भी प्रस्तुत किया हुआ है प्रा.पत्र मे अंकितानुसार उक्त आराजी प्रार्थी के दादा परदादा ने विजय सिंह नारेला से सेटलमेन्ट से पुर्व क्रय कि गयी थी। लेकिन दादा परदादा पढे लिखे नहीं होने से राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज नहीं करा सके जबकि उक्त आराजीयात को क्रय कि तब से ही प्रार्थी का 1/3 हक हिस्से पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है विपक्षीगण के पिता द्वारा वर्णित आराजीयात को अपने राजस्व रैकार्ड में दर्ज करवाली जबकि उक्त वर्णित आराजी का क्रय समय से ही प्रार्थी के दादा परदादा कब्जे काश्त कर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। प्रकरण मे विपक्षीगण के उपस्थित नहीं होने से एवं न ही कोई जवाब प्रस्तुत होने से तथा प्रकरण में प्रार्थी के प्रा.पत्र मे विरोधाभास नहीं होने से एवं प्रकरण की आराजीयात में यदि प्रार्थी अपने हिस्से को दावा पत्रावली [illegible] ही विपक्षीगण द्वारा उक्त आराजीयात का बेचान कर दिया जाता है तो प्रार्थी का दावा [illegible] और अपने हक हिस्से से महरूम हो जाएगा इस प्रकार प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार करने [illegible] पाया जाता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र [illegible] है विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से मूल वाद के निस्तारण तक पाबन्द [illegible] मौजा लिरडी प0ह0 दुगार कि आराजी संख्या 103, 94, 95, 96, 97 कुल किता 5 कुल रकबा 2.6600 है0 भूमि मे प्रार्थी के कब्जे काश्त 1/3 हक हिस्से कि कृषि भूमि का शान्तिपुर्वक उपयोग उपभोग एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न तो स्वयं करें और न ही किसी ओर को बेचान करें न ही अपने किसी नौकर,एजेन्ट एवं रिश्तेदार से करावे।

आदेश आज दिनांक 05.10.2023 को लिखाया जाकर सरे ईजलजास सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 16:26:51 IST
Reason: SelfAttested